न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –37 / 2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
जब्बरसिंह पुत्र श्री गायड़सिंह जाति राजपूत निवासी राजपूतों का बास श्यामपुरा तहसील मेड़ता जिला नागौर (निर्णय जबरसिंह पुत्र भूरसिंह नाम के व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया हुआ है)		सरकार जरिये तहसीलदार, मेडता।

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री भगवानसिंह राठौड़।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राज वकील श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 10-5-2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत न्यायालय नायब तहसीलदार, मेडता द्वारा मुकदमा नम्बर 14 / 2017 सरकार बनाम जबरसिंह अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 15.02.2018 को प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का नेतड़िया द्वारा तहसीलदार मेड़ता के समक्ष रिपोर्ट पेश की, जिसमें ग्राम श्यामपुरा के खसरा नम्बर 42 रकबा 0.06 हैक्टयर किस्म गै. मु. रास्ता पर तथाकथित जबरसिंह पुत्र भूरसिंह का नाजायज कब्जा संवत 2074 में बताकर रिपोर्ट पेश की, जिस पर तहसीलदार मेड़ता द्वारा धारा 91 रा.भू.राज. अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की गई तथा नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलान्ट का नाम भी जब्बरसिंह होने से अपीलान्ट से तामिल करवा दिया व अपीलान्ट को तहसील कार्यालय में उपस्थित होने का कहा, जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 10.01. 2018 को तहसील कार्यालय में उपस्थित होने पर उसे पता चला की उसके विरूद्ध रास्ता पर अतिक्रमण करने की कार्यवाही की गई है तब उसने कहा की वह जबरसिंह पुत्र भूरसिंह नहीं है, उसका नाम जब्बरसिंह पुत्र गायड़सिंह है तथा उसका किसी भी रास्ता

कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

की भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। रास्ता के पास ही उसकी खातेदारी का खेत खसरा नं0 33 व 34 स्थित है, जिसका नाप चोप किया जावे व कार्यवाही ड्रोप की जावे। तब अपीलान्ट के हस्ताक्षर करवाकर वापिस भेज दिया व कहा कि नाप चोप करने के लिए आपको सूचित कर दिया जावेगा व कार्यवाही समाप्त करने का आश्वासन दिया, जिससे अपीलान्ट सन्तुष्ठ हो गया, लेकिन तहसीलदार ने प्रकरण में पेशी दिनांक 25.1.2018 को रख दी व उसकी कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं व उस दिन अपीलान्ट को आवाज लगाना बताकर व पटवारी हल्का के बयान लेना बताकर अपीलान्ट की पीठ पीछे उसके विरूद्ध बेदखली, जुर्माना व सिविल कारावास की सजा का निर्णय दिनांक 25.1.18 को पारित कर दिया।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कानून व मौके की स्थिति के विपरित, मिथ्या रिपोर्टों के आधार पर बिना वास्तविक जॉच किये पारित किया गया है। अपीलान्ट शिक्षित व्यक्ति है उसके द्वारा रास्ता की भूमि पर बाड़ लगाकर अतिक्रमण नहीं किया गया है और न ही पूर्व में उसने कभी अतिक्रमण किया न उसे बेदखल किया गया। सारी की सारी कार्यवाही केवल मात्र ग्राम पंचायत नेतड़िया के सरपंच ने अपीलान्ट से नाराजगी रखते हुऐ अपीलान्ट को नाजायज तंग परेशान करने व सरपंच के अवैध कृत की शिकायत नहीं कर सके इस हेतु अपीलान्ट पर दबाव बनाने के लिए पटवारी हल्का को अपने प्रभाव में लेकर मिथ्या रिपोर्ट तैयार करवा कर निर्णय जैर अपील पारित करवाया गया है। यदि तहसीलदार जी स्वंय मौका निरीक्षण करते तो सारे हालात उसी समय स्पष्ट हो जाते मगर तहसीलदार ने भी मौका निरीक्षण नहीं किया न ही अपीलान्ट को इस बारे में पूरी कोई जानकारी उपलब्ध करवाई व नाप चोप का आश्वासन देकर बाद में अपीलान्ट को सुने बिना, साक्ष्य सबूत व लिखित जबाबदेही आदि का अवसर दिये बिना बाले बाले इकतरफा में निर्णय जैर अपील पारित कर कानूनी त्रुटि की है।

अपीलान्ट पर जिस कथित रास्ता पर बाड़ लगाकर अतिक्रमण करना पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट में बताया गया है वह रास्ता श्यामपुरा ग्राम से चुन्दिया गांव जाता है जो अपीलान्ट की खातेदारी के खेत से दक्षिणी तरफ स्थित है जो सदैव से खुला बिना किसी बाधा के मौके पर चलता रहा है। किसी भी काश्तकार व राहगीर की कोई शिकायत अतिक्रमण बाबत कभी नहीं रही है। आज दिन जितना कदीमी रास्ता था उसी अनुसार मौके पर खुला व चालू स्थिति में है, कोई अतिक्रमण न तो पूर्व में कभी अपीलान्ट ने किया न आज दिन है न भविष्य में किया जावेगा, इस हेतु अपीलान्ट का अलग से शपथ पत्र भी इस अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार जी को अपीलान्ट की खातेदारी के खेत का नाप चोप करवाना चाहिए था ताकि वास्तविक स्थिति पत्रावली पर आ जाती कि अपीलान्ट का खातेदारी की भूमि पर ही कब्जा है, रास्ते की भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। मगर तहसीलदार जी ने अपीलान्ट के खेत का नाप चोप करवाये बिना केवल मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट जो सरपंच के कहने से तैयार की गई, उसे आधार मानकर निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है।

कलक्टर, नागौर

पटवारी हल्का के बयान जो लिये गये है, वे मौके की स्थिति के विपरित है, मिथ्या कथन किया गया है। बयानों का अवलोकन करे तो भी स्पष्ट है कि कथित अतिक्रमण कितने रकबे पर किया हुआ है, बयानों में नहीं आया है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर नहीं दिया गया है। जहां तक पूर्व की बेदखली रिपोर्ट का प्रश्न है वह

भी फर्जी तैयार की गई है, उस पर कथित जो मौतबिर बताये गये है, उनको अपीलान्ट जानता तक नहीं है। सरपंच के आदमी है ऐसी रिपोर्ट मौके पर आये बिना पटवार मण्डल में तैयार करवाई गई है, जिसके अवलोकन से भी बनावटी होना जाहिर होता है। इसलिए निर्णय जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

सारी कार्यवाही आनन–फानन में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर की गई है, जिसमें अपीलान्ट की वल्दियत भी गलत दर्ज की गई है, अपीलान्ट का नाम जब्बरसिंह पुत्र गायड़सिंह जो अपील के साथ प्रस्तुत आधार कार्ड से साबित है मगर इस कार्यवाही में जब्बरसिंह पुत्र भूरसिंह दर्ज किया गया है, जब्बरसिंह पुत्र भूरसिंह कौन है अपीलान्ट को जानकारी नहीं है मगर उसकी आड़ में अपीलान्ट को गिरफतार करवा कर जैल में डलवाने पर पटवारी व सरपंच वगैरह आमादा है।

तहसीलदार जी ने अपने स्तर पर जॉच किये बिना अपीलान्ट को पश्चातवृति अतिक्रमी मानकर जल्दबाजी में निर्णय पारित किया है। रास्ता बन्द नहीं है किसी को आवागमन में बाधा नहीं होने का कथन करते हुए अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर निर्णय जैर अपील अपास्त/संशोधित करने साथ ही उक्त रास्ता व अपीलान्ट की खातेदारी के खेत का नाप चोप करवाकर सीमाज्ञान निष्पक्ष पटवारियों से करवाने हेतु तहसीलदार मेड़ता को आदेशित करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अपनी बहस में वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की हस्तगत प्रकरण में पटवारी हल्का नेतड़िया व भू अभिलेख निरीक्षक मेड़ता की रिपोर्ट दिनांक 27.12.17 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम श्यामपुरा के खसरा नम्बर 42 किस्म गैर मुमकिन रास्ता की 0.06 हैक्टयर भूमि पर नाजायज कब्जा कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के संबंध में रिपोर्ट तहसीलदार मेड़ता को प्रस्तुत करने पर उक्त रिपोर्ट के आधार प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार सुनवाई की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो उचित होने से अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में पटवारी हल्का नेतड़िया व भू अभिलेख निरीक्षक मेड़ता की रिपोर्ट दिनांक 27.12.17 के अनुसार जबरसिंह पुत्र भूरसिंह कौम राजपूत निवासी श्यामपुरा द्वारा ग्राम श्यामपुरा के खसरा नम्बर 42 किस्म गैर मुमकिन रास्ता की 0.06 हैक्टयर भूमि पर नाजायज कब्जा कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के संबंध में रिपोर्ट तहसीलदार मेड़ता को प्रस्तुत करने पर उक्त रिपोर्ट के आधार पर जबरसिंह पुत्र भूरसिंह कौम राजपूत निवासी श्यामपुरा द्वारा ग्राम श्यामपुरा के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर उसे नोटिस जारी करते हुऐ जबरसिंह पुत्र भूरसिंह कौम राजपूत निवासी श्यामपुरा को अतिक्रमित भूमि पर से बेदखली, जुर्माना व एक माह के सिविल कारावास की सजा सुनाते हुऐ निर्णय जैर अपील पारित किया गया। फर्द बेदखली रिपोर्ट दिनांक 10.11.2017 के अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि पर से तत्समय जबरसिंह पुत्र भूरसिंह कौम राजपूत निवासी श्यामपुरा को बेदखल किया गया है। पटवारी नेतड़िया द्वारा अपने बयान में भी जबरसिंह पुत्र भूरसिंह कौम राजपूत निवासी श्यामपुरा द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण करना बताया है। प्रकरण में तहसीलदार मेड़ता द्वारा जारी गिरफ्तारी वारन्ट दिनांक 9.2.2018 भी जबरसिंह पुत्र भूरसिंह कौम राजपूत निवासी श्यामपुरा के विरूद्ध जारी किया गया है।

कलक्टर, नागौर

उक्त गिरफ्तारी वारन्ट को पुलिस थाना मेड़ता द्वारा दो मौतबिरान के हस्ताक्षर सहित इस रिपोर्ट के साथ लौटा दिया की जबरसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा नाम का कोई व्यक्ति मौजा श्यामपुरा में नहीं रहता है। उक्त संबंध में न्यायालय नायब तहसीलदार मेड़ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.2.2018 से भू अभिलेख निरीक्षक मेड़ता व पटवारी हल्का नेतड़िया से रिपोर्ट चाही, जिसके क्रम में पटवारी हल्का नेतड़िया व भू अभिलेख निरीक्षक मेड़ता ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.2.2018 में अतिक्रमी श्री जब्बरसिंह के पिता का वास्तव में नाम गायड़सिंह है।

इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फर्द बेदखली रिपोर्ट दिनांक 10.11.2017 से लेकर हस्तगत प्रकरण निर्णय एवं गिरफ्तारी वारन्ट जारी करने आदि के संबंध में सम्पूर्ण कार्यवाही जबरसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा के नाम से की गई है, जबकि उपरोक्तानुसार पुलिस थाना मेड़ता की गिरफतारी वारन्ट अंकित रिपोर्ट के अनुसार जबरसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा नाम का श्यामपुरा में कोई व्यक्ति नहीं है एवं पटवारी हल्का नेतड़िया व भू अभिलेख निरीक्षक मेड़ता की रिपोर्ट दिनांक 22.2.2018 में अतिक्रमी श्री जब्बरसिंह के पिता का वास्तव में नाम गायड़सिंह होना बताया है। हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण सतर्कता के साथ नहीं की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मेड़ता द्वारा पारित निर्णय जैर अपील त्रुटिपूर्ण होने निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मेड़ता का निर्णय जैर अपील निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मेड़ता को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर